संख्या– 12 नो0(एम0)/XXXVI(1)/08-924(66)/96

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
ऊधमसिंहनगर ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 03 सितम्बर, 2008

विषय– श्री पी0सी0 पुनेठा, अधिवक्ता के नोटरी सर्टिफिकेट आफ प्रेक्टिस का नवीनीकरण न किया जाना ।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक अपने पत्र संख्या – 519 दिनांक 5–11–2007, पत्र संख्या 52 दिनांक 14–2–2008 एवं पत्र संख्या 165/एडमिन–नोटरी दिनांक 17–4–2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री पी0सी0 पुनेठा, अधिवक्ता के नोटरी प्रमाण पत्र का दिनांक 23 फरवरी, 1999 तक था । उसके उपरान्त श्री पुनेठा द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(ख) का अनुपालन नही किया गया । अतः नोटरी अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर से श्री पी0सी0 पुनेठा का नाम हटाये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अतः श्री पुनेठा नोटरी अधिनियम की धारा 9 के अधीन नोटरी के रूप में व्यवसाय नही कर सकते हैं ।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस रिक्ति के सापेक्ष आवश्यकता के दृष्टिगत नोटरी अधिनियम 1952 सपठित नोटरी नियमावली 1956 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये तहसील खटीमा में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्तागण का पैनल अपनी सुस्पष्ट आख्या सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या– 120) नो0(एम0)/XXXVI(1)/08-924(66)/96

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री पी0सी0 पुनेठा, अधिवक्ता, सिविल न्यायालय, खटीमा, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड
2– एन0आई0सी0/गार्डफाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,